

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**  
**मंत्रालय**  
**महानदी भवन, नया रायपुर**  
**//आदेश//**

नया रायपुर, दिनांक 10 मई, 2013

क्रमांक एफ-2-4 / सात-2 / 2009 :: राज्य शासन एतद्वारा आदेश जारी करने के दिनांक से जिलों में कार्यरत् खण्डलेखकों को 130/- (एक सौ तीस रुपये) प्रति दिन विश्राम दिवस काटकर निश्चित पारिश्रमिक दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/ उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के क्रमांक 232 / सी.एन./ 2013- 07-00011 / बजट 5 / वित्त / चार दिनांक 07.05.2013 द्वारा दी जाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

*M*  
*10/5/13*  
(वाय० पी० दुपार)  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ. क्रमांक एफ-2-4 / सात-2 / 2009

नया रायपुर, दिनांक 10 मई, 2013

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
3. आयुक्त, भू-अभिलेख, छ.ग. रायपुर
4. समस्त संभागायुक्त, छ.ग.
5. समस्त कलेक्टर, छ.ग.
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, मंत्रालय की ओर राजस्व विभाग की वेबसाइट <http://cg.nic.in/revenue/> पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश फोल्डर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।



*WS*  
*Subhash*  
*16/5*

*M*  
*10/5/13*  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग